आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

मुंबई, 10 फरवरी, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। खान पर आरोप है कि हत्या के आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की एक टीम अमानतुल्ला खान के घर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले तो पुलिस खाली हाथ लौट आई। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से कहा है कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, इसलिए आपकी पार्टी चुनाव हारी। सूत्रों के मुताबिक LG ने ये बातें 9 फरवरी को तब कहीं थीं, जब आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने उनके पास गई थीं। सूत्रों के मुताबिक, LG सक्सेना ने आतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को 'यमुना के श्राप' के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। LG हाउस के सूत्रों के अनुसार, आतिशी ने LG की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया।

दरअसल, जनवरी, 2023 में यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने LG की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। जैसे ही कमेटी ने अपना काम शुरू किया, केजरीवाल ने अपना समर्थन जताया और सहायता की पेशकश की। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार ने NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक डोमेन एक्सपर्ट को पैनल का नेतृत्व करना चाहिए। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यह रोक 2 साल से अधिक समय से बरकरार है।